फर्द अहकाम

गोपाल लाल बनाम मालचन्द वगै0

[illegible] पत्र संख्या/ 40/2024

[illegible]	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30.05.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब आने तक आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला पटवार हल्का कपूरावाला भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 425, 428 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 रकबा में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 13.06.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	नोटिस जारी 3830-39 7/6/24
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी ने डाक रसीद रजिस्ट्री रसीदे पेश की। अ.प्रा. की [illegible] पत्रावली वास्ते पेश करने ट्रैक रिपोर्ट हेतु दि0 18/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी [illegible] नहीं। बावजूद आवाज [illegible] प्रार्थी व उनके अधिवक्ता [illegible] हाजिर नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:43:33 IST
Reason: SelfAttested